कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली (म॰प्र॰)

//विविध आदेश//

क्रमांक– 02/एक–5–1/2010, सिंगरौली, दिनांक–17.01.2023

म0प्र0, व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1956 की धारा 15 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 10(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, सुरभि मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला एवं सत्र खण्ड सिंगरौली **वर्ष, 2023** के लिए एवं आगामी अन्य आदेश होने तक के लिए निम्नानुसार सिविल कार्य विभाजन पत्रक जारी करती हूँ:–

{यह विविध आदेश दिनांक–18.01.2023 से प्रभावशील होगा है}

क्र0	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	वादों के प्रकार
1	2	3	4
1.	श्रीमती सुरभि मिश्रा प्रधान जिला न्यायाधीश, सिंगरौली	सिविल जिला सिंगरौली	1. समस्त सिविल वाद जिनका मूल्यांकन दो करोड रूपए से अधिक होगा। 2. उपरोक्त वादों से उत्पन्न सभी विविध एवं इजराय प्रकरण। 3. निर्वाचन याचिका नगर पालिका अधिनियम 1961 के अन्तर्गत । 4. न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय से उद्भूत अपीलें। 5. सिविल प्रकरणों से संबंधित स्थानांतरण हेतु आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 24, सिविल प्रक्रिया संहिता। 6. अन्य समस्त प्रकरण, आवेदन पत्र जो सामान्य स्थानीय एवं विशेष अधिनियम के अन्तर्गत जिला न्यायाधीश की सुनवाई योग्य हो, जिनके संबंध में अन्यत्र निर्देश न दिया गया हो। 7. म0प्र0 पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 26 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण । 8. मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 के अन्तर्गत एक करोड मूल्य से अधिक के समस्त प्रकरण। 9. मुख्यालय पर पदस्थ सभी सिविल जज वरिष्ठ खण्ड एवं सिविल जज कनिष्ठ खण्ड के न्यायालयों से उद्भूत विविध सिविल अपील, नियमित सिविल अपील व अपील से संबंधित विविध प्रकरण। 10. थाना बैढन, विन्ध्यनगर, मोरवा, नवानगर, लंघाडोल, माडा से संबंधित समस्त मृत्यु दावा प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध एवं इजराय प्रकरण।

P.T.O

			11. अन्य सभी प्रकार के प्रकरण जो कार्य विभाजन पत्रक में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार का उल्लेख न हो उनकी सुनवाई।
			12. बीमा कंपनियों के विरूद्ध प्रस्तुत होने वाले समस्त थानों के मृत्यु दावा प्रकरण जो तहसील सिंगरौली एवं माडा क्षेत्र के प्रकरण।
1A	सत्र न्यायाधीश सिंगरौली	सत्र खण्ड सिंगरौली	1. सत्र प्रकरण। 2. आपराधिक अपीलें । 3. आपराधिक पुनरीक्षण । 4. विविध आपराधिक प्रकरण। 5. (विद्युत अधिनियम 2003, मादक पदार्थ अधिनियम 1985 एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं लैंगिक अतिरिक्ताधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को छोड़कर) शेष सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अन्य विशेष अधिनियम के प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न जमानत आवेदन एवं उनसे उत्पन्न प्रकरण।
2	श्री सुशील कुमार प्रथम जिला न्यायाधीश, सिंगरौली	सिविल जिला सिंगरौली	1. वह सभी प्रकरण जिन्हें समय–समय पर जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जाएगा।
2A	प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली	सत्र खण्ड सिंगरौली	1. सत्र न्यायाधीश सिंगरौली द्वारा अंतरण पर प्राप्त होने वाले सत्र प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र। 2. उपरोक्त प्रकरणों से उद्भूत विविध प्रकरण। 3. सत्र खण्ड सिंगरौली से उत्पन्न समस्त भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध प्रकरण व जमानत आवेदन पत्र । 4. सत्र खण्ड सिंगरौली से उत्पन्न समस्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत लंबित, संस्थापित प्रकरण एवं उनसे संबंधित जमानत आवेदन पत्र ।
3	श्री वारीन्द्र कुमार तिवारी, द्वितीय जिला न्यायाधीश, सिंगरौली (म0प्र0)	सिविल जिला सिंगरौली	1. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अधीन रहते हुए वह सभी प्रकरण जिन्हें समय–समय पर जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जाएगा।
3A	द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली (म0प्र0)	सत्र खण्ड सिंगरौली	1. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अधीन रहते हुए, पुलिस थाना वैढ़न, विन्ध्यनगर, मोरवा, नवानगर, माड़ा एवं लंघाडोल (थाना लंघाडोल के तहसील सरई के अन्तर्गत आने वाले गांवों को छोड़कर) से उत्पन्न समस्त

			लैंगिक अतिरिक्ताधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 से उत्पन्न समस्त प्रकरण एवं उनके उत्पन्न जमानत आवेदन पत्र (मुख्यालय सिंगरौली के अन्तर्गत) 2. सत्र न्यायाधीश सिंगरौली द्वारा अंतरण पर प्राप्त होने वाले सत्र प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र। 3. उपरोक्त प्रकरणों से उद्भूत विविध प्रकरण।
4	श्री अंजनी नंदन जोशी, तृतीय जिला न्यायाधीश, सिंगरौली (म0प्र0)	सिविल जिला सिंगरौली	1. वह सभी प्रकरण जिन्हें समय–समय पर जिलान्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जाएगा। 2. थाना कोतवाली एवं विन्ध्यनगर थाना क्षेत्रों से संबंधित समस्त क्लेम प्रकरण जो मृत्यु दावे से संबंधित न हों एवं उनसे उत्पन्न विविध एवं इजराय प्रकरण। 3. "The Court of District Judge as the Principal Civil Court of original jurisdiction would be competent to decide the matters/disputes filed under the provisions to Sections 9, 14 & 36 of the Arbitration Act and also under the provisions of the Commercial Court Act, 4. बीमा कंपनियों के विरूद्ध प्रस्तुत होने वाले मृत्यु दावा प्रकरण को छोडकर अन्य मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण पुलिस थाना कोतवाली बैढ़न एवं थाना विन्ध्यनगर के प्रकरण।
4A	तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली (म0प्र0)	सत्र खण्ड सिंगरौली	1. सत्र न्यायाधीश सिंगरौली द्वारा अंतरण पर प्राप्त होने वाले सत्र प्रकरण, दांडिक अपीलें, दांडिक निगरानी एवं जमानत आवेदन पत्र । 2. उपरोक्त प्रकरणों से उद्भूत विविध प्रकरण। 3. जिला मुख्यालय सिंगरौली बैढन के समस्त रेप केसेस, गैंग रेप एवं रेप बिद मर्डर के प्रकरण।
5	श्री आत्माराम टॉक, चतुर्थ जिला न्यायाधीश, सिंगरौली (म0प्र0)	सिविल जिला सिंगरौली	1. वह सभी प्रकरण जिन्हें समय समय पर जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जाएगा। 2. भू–अर्जन के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले समस्त प्रकरण। 3. थाना मोरवा एवं नवानगर थाना क्षेत्रों से संबंधित समस्त क्लेम प्रकरण जो मृत्यु दावे से संबंधित न हों एवं उनसे उत्पन्न विविध एवं इजराय प्रकरण। 4. बीमा कंपनियों के विरूद्ध प्रस्तुत होने वाले मृत्यु दावा प्रकरण को छोडकर अन्य मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण पुलिस थाना नवानगर के प्रकरण।

P.T.O

5A	चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली (म0प्र0)	सत्र खण्ड सिंगरौली	1. सत्र न्यायाधीश सिंगरौली द्वारा अंतरण पर प्राप्त होने वाले सत्र प्रकरण, दांडिक अपीलें, दांडिक निगरानी एवं जमानत आवेदन पत्र। 2. उपरोक्त प्रकरणों से उद्भूत विविध प्रकरण। 3. सत्रखण्ड सिंगरौली से उत्पन्न समस्त विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत लंबित, संस्थापित प्रकरण एवं उनसे संबंधित जमानत आवेदन पत्र।
6	श्री विवेक कुमार पाठक, पंचम जिला न्यायाधीश, सिंगरौली (म0प्र0)	सिविल जिला सिंगरौली	1. ऐसे समस्त प्रकरण जिन्हें समय–समय पर जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावेगा। 2. एक करोड एक रूपये से दो करोड रूपये मूल्य तक के समस्त सिविल वाद। 3. उपरोक्त वादों /प्रकरण से उद्भूत निष्पादन एवं विविध प्रकरण । 4. मध्यप्रदेश सहकारी संस्थान अधिनियम के अंतर्गत पचास हजार एक रूपए मूल्य से अधिक के प्रकरण । 5. म0प्र0 नगर पालिक अधि0 1961 की धारा 139(5) तथा धारा 172(3) के अंतर्गत प्रस्तुत पुनरीक्षण। 6. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रोवेट एवं प्रशासन पत्र के प्रकरण। 7. रूपये 501=00 से रूपये 1000=00 मूल्य के लघुवाद प्रकरण। 8. साहूकारों के कुचक्रों से परित्राण विमुक्ति अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 9. थाना लंघाडोल एवं माडा थाना क्षेत्रों से संबंधित समस्त क्लेम प्रकरण जो मृत्यु दावे से संबंधित न हों एवं उनसे उत्पन्न विविध एवं इजराय प्रकरण । 10. बीमा कंपनियों के विरूद्ध प्रस्तुत होने वाले मृत्यु दावा प्रकरण को छोडकर अन्य मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण पुलिस थाना माड़ा, लंघाडोल के प्रकरण।
6A	पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली (म0प्र0)	सत्र खण्ड सिंगरौली	1. सत्र न्यायाधीश सिंगरौली द्वारा अंतरण पर प्राप्त होने वाले सत्र प्रकरण, दांडिक अपीलें, दांडिक निगरानी एवं जमानत आवेदन पत्र। 2. उपरोक्त प्रकरणों से उद्भूत विविध प्रकरण। 3. सत्रखण्ड सिंगरौली से उत्पन्न समस्त मादक द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत लंबित, संस्थापित प्रकरण एवं उनसे संबंधित जमानत आवेदन पत्र।

7	श्री सुधीर सिंह राठौड़ द्वितीय जिला न्यायाधीश, देवसर जिला सिंगरौली	तहसील देवसर, चितरंगी एवं सरई	1. वह सभी प्रकरण जिन्हें समय समय पर जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जाएगा। 2. एक करोड़ रूपये से अधिक मूल्य के ''ए'' तथा ''बी'' श्रेणी के सम्पत्ति वाद। 3. आर्बीटेशन तथा कंसिलिएशान एक्ट 1996 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं निष्पादन प्रकरण । 4. तहसील देवसर, चितरंगी एवं सरई के रू0 501=00 से रू01000=00 मूल्य के लघुवाद प्रकरण। 5. मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण जो देवसर, चितरंगी व सरई तहसील से उद्भूत हों। 6. भू अर्जन से संबंधित समस्त प्रकरण जो देवसर, चितरंगी एवं सरई तहसील से उद्भूत हों। 7. मुख्यालय देवसर पर पदस्थ सभी सिविल जज वरिष्ठ खण्ड एवं सिविल जज कनिष्ठ खण्ड के न्यायालयों से उद्भूत विविध सिविल अपील, नियमित सिविल अपील व अपील से संबंधित विविध प्रकरण।
7A	द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, देवसर जिला सिंगरौली (म0प्र0)	तहसील देवसर, चितरंगी एवं सरई	1. सत्र न्यायाधीश सिंगरौली द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपील, एवं दाण्डिक पुनरीक्षण । 2. देवसर विद्युत क्षेत्र से संबंधित विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत उद्भूत विशेष न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरण एवं उनसे संबंधित जमानत आवेदन । 3. थाना जियावन, बरगवां, चितरंगी, सरई एवं गढवा से उद्भूत, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण जो देवसर में पदस्थ किसी भी न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी के निर्णय एवं आदेश से उद्भूत हुये हों। 4. थाना चितरंगी एवं गढवा से उद्भूत जमानत आवेदन–पत्र।
8	श्री श्यामसुन्दर झा, तृतीय जिला न्यायाधीश, देवसर, (म0प्र0)	तहसील देवसर, चितरंगी एवं सरई	1. वह सभी प्रकरण जिन्हें समय समय पर जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जाएगा।
8A	तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, देवसर (म0प्र0)	तहसील देवसर, चितरंगी एवं सरई	1. सत्र न्यायाधीश सिंगरौली द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण । 2. पुलिस थाना जियावन, बरगवां, चितरंगी, सरई, गढ़वा तथा लंघाडोल(तहसील माड़ा के अन्तर्गत आने वाले गांवों को छोड़कर) से

			उत्पन्न समस्त लैंगिक अतिरिक्ताधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 से उत्पन्न समस्त प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न जमानत आवेदन पत्र (मुख्यालय सिंगरौली को छोड़कर) 3. थाना जियावन, बरगवां एवं सरई से उद्भूत जमानत आवेदन–पत्र।
9	श्री कृष्णपाल सिंह द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिंगरौली म0प्र0	तहसील सिंगरौली ए वं माड़ा	1. ऐसे समस्त प्रकरण जिन्हें समय–समय पर जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावेगा। 2. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अन्तर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र से संबंधित प्रकरण। 3. पॉच लाख एक रूपए से तीस लाख रूपए मूल्य तक के मुस्लिम विधि के प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन विविध प्रकरण । 4. एक रूपए से पॉच सौ रूपए मूल्य तक के लघु वाद एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विभिन्न प्रकरण।
9A	श्री नीरज पवैया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिंगरौली म0प्र0	तहसील सिंगरौली एवं माड़ा	1. पांच लाख एक रूपये से तीस लाख रूपये मूल्य तक के समस्त सिविल वाद एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 2. ऐसे समस्त प्रकरण जिन्हें समय–समय पर जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावेगा। 3. The Commercial Court, commercial Division and commercial appellate division of high court act, 2015 की धारा 2सी में यथा परिभाषित कामर्शियल एवं फाईनेंशियल डिस्प्यूट से संबंधित (एक करोड़ रूपये से कम मूल्य) के समस्त प्रकरण। 4. तहसील देवसर, चितरंगी एवं सरई के क्षेत्राधिकार के उत्पन्न समस्त भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रोबेट एवं प्रशासन पत्र के प्रकरण।
10	श्री अभिषेक कुमार तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिंगरौली म0प्र0	तहसील सिंगरौली ए वं माड़ा	1. तीस लाख एक रूपये से एक करोड रूपये मूल्य तक के समस्त सिविल वाद एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण । 2. प्रादेशिक दिवालिया अधिनियम 1920 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 3. उपरोक्त वादों से उद्भूत इजराय एवं विविध प्रकरण। 4. ऐसे समस्त प्रकरण जिन्हें समय–समय पर जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावेगा। 5. ग्राम न्यायालय के विचारण योग्य दीवानी एवं फौजदारी प्रकरण।

11	श्रीमती प्रितांजली सिंह, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, वैढ़न जिला सिंगरौली म0प्र0	तहसील सिंगरौली एवं माड़ा	1. ऐसे समस्त प्रकरण जिन्हें समय–समय पर जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावेगा।
12	श्री आयुष कनेल प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बैढ़न	देवसर एवं सिंगरौली सम्पूर्ण क्षेत्र से संबंधित किशोर न्याय बोर्ड	1. सम्पूर्ण जिला सिंगरौली क्षेत्र से संबंधित किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किए जाने वाले प्रकरण।
13	सुश्री शाम्भवी सिंह, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिंगरौली म0प्र0	तहसील सिंगरौली एवं माड़ा	1. एक रूपये से पांच लाख रूपये मूल्य तक के समस्त सिविल वाद एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 2. एक रूपये से पांच लाख रूपये मूल्य तक के मुस्लिम विधि के प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 3. ऐसे समस्त प्रकरण जिन्हें समय–समय पर जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावेगा।
14	श्रीमती आयुषी शर्मा प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड देवसर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश	तहसील देवसर, चितरंगी एवं सरई	1. एक रूपये से पांच लाख रूपये मूल्य तक के समस्त सिविल वाद एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण माह अप्रैल 2023 से जून 2023 तक। 2. एक रूपये से पांच लाख रूपये मूल्य तक के मुस्लिम विधि के प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण माह अप्रैल 2023 से जून 2023 तक। 3. ऐसे समस्त प्रकरण जिन्हें समय–समय पर जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावेगा।
15	श्री हर्ष ठाकुर प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड देवसर	तहसील देवसर, चितरंगी एवं सरई	1. एक रूपये से पांच लाख रूपये मूल्य तक के समस्त सिविल वाद एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण माह जुलाई 2023 से सितम्बर 2023 तक। 2. एक रूपये से पांच लाख रूपये मूल्य तक के मुस्लिम विधि के प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण माह जुलाई 2023 से सितम्बर 2023 तक। 3. ऐसे समस्त प्रकरण जिन्हें समय–समय पर जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावेगा।

P.T.O

16	श्रीमती तनवी माहेश्वरी ठाकुर द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड देवसर	तहसील देवसर, चितरंगी एवं सरई	1. एक रूपये से पांच लाख रूपये मूल्य तक के समस्त सिविल वाद एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण माह जनवरी 2023 से मार्च 2023 तक। 2. एक रूपये से पांच लाख रूपये मूल्य तक के मुस्लिम विधि के प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण माह जनवरी 2023 से मार्च 2023 तक। 3. ऐसे समस्त प्रकरण जिन्हें समय–समय पर जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावेगा।
17	श्री देवांश अग्रवाल तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड देवसर	तहसील देवसर, चितरंगी एवं सरई	1. एक रूपये से पांच लाख रूपये मूल्य तक के समस्त सिविल वाद एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण माह अक्टूबर 2023 से दिसम्बर 2023 तक। 2. एक रूपये से पांच लाख रूपये मूल्य तक के मुस्लिम विधि के प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण माह अक्टूबर 2023 से दिसम्बर 2023 तक। 3. ऐसे समस्त प्रकरण जिन्हें समय–समय पर जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावेगा।

–:: आवश्यक आदेश व निर्देश ::–

(1) सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति में अभियुक्त के पश्चातवर्ती जमानत आवेदन पत्र तथा सह अभियुक्तों के जमानत आवेदन पत्र की सुनवाई उसी जज द्वारा की जावेगी, जिसने उस अतिरिक्ताध क्रमांक से संबंधित आवेदन पत्र पूर्व में निर्णीत किया है । तत्संबंधी आवेदन पत्र उस न्यायाधीश को स्वतः अंतरित माना जावेगा ।

(2) सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति में प्रथम जमानत आवेदन पत्र एवं 34(2) आबकारी अधिनियम से संबंधित जमानत आवेदन पत्र थाना अनुसार निम्नलिखित न्यायिक अधिकारी के द्वारा निराकृत किये जायेगें :–

क.	थाने का नाम	न्यायिक अधिकारी का नाम
01	बैढ़न, नवानगर	श्री सुशील कुमार, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बैढन
02	मोरवा, लंघाडोल	श्री विवेक कुमार पाठक, पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बैढन
03	विन्ध्यनगर, माडा, सरई	श्री वारीन्द्र कुमार तिवारी, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बैढन
04	बरगवॉ, चितरंगी	श्री अंजनी नंदन जोशी, तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वैढ़न
05	गढ़वा, जियावन	श्री आत्माराम टांक, चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, वैढ़न

नोट :— यदि उपरोक्त विभाजन अनुसार कोई न्यायिक अधिकारी उक्त दिनांक को अनुपस्थित रहता है तो, चार्ज प्रभार अनुसार पीठासीन अधिकारी द्वारा जमानत आवेदन का निराकरण किया जायेगा तथा उक्त जमानत आवेदन, संबंधित न्यायालय को स्वमेव अंतरित मान्य किये जावेगें ।

(3) लैंगिक अतिरिक्ताध से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO 2012) एन.डी.पी.एस., एस.सी / एस.टी एक्ट, एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के जमानत आवेदन एवं रिमाण्ड उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में मुख्यालय पर पदस्थ एवं उपस्थित वरिष्ठतम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के यहां प्रस्तुत होंगे। आपराधिक प्रकरणों की अन्य आदेश पत्रिकाएं हस्ताक्षर हेतु चार्ज प्रभार अनुसार संबंधित पीठासीन अधिकारी के समक्ष पेश होंगे । चार्ज प्रभार के तीनों प्रभारी अधिकारियों की अनुपस्थिति में मुख्यालय में उपस्थित वरिष्ठतम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगें।

(4) मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 के अधीन मामलों के निपटारे के प्रयोजन के लिये जिला सिंगरौली में मुख्यालय बैढन एवं तहसील देवसर में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालयों को थाना अनुसार कार्य विभाजन किया जाता हैः—

जिला मुख्यालय बैढन

क्रं0	न्यायालय का नाम	थाना
01	सत्र न्यायाधीश, प्रधान जिला सिंगरौली	विन्ध्यनगर, बैढन
02	श्री आत्माराम टॉक, चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बैढन	माडा, मोरवा
03	श्री विवेक कुमार पाठक, सिंह ठाकुर, पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बैढन	लंघाडोल, नवानगर

तहसील देवसर

क्रं0	न्यायालय का नाम	थाना
01	श्री सुधीर सिंह राठौड़, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश	जियावन, सरई, चितरंगी, बरगवां, गढ़वा

नोटः— यदि कोई न्यायिक अधिकारी सत्र न्यायाधीश / अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अवकाश पर हैं, सार्वजनिक अवकाश एवं अन्य प्रकार के किसी भी अवकाश की स्थिति में प्रथम रिमाण्ड संबंधित थाने के मजिस्ट्रेट दे सकेंगे।

चार्ज प्रभार

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 10(3) एवं सिविल कोर्ट एक्ट की धारा 21(4) के अंतर्गत कार्यरत् न्यायाधीशों की अनुपस्थिति में आवश्यक सिविल एवं आपराधिक कार्य के लिए निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है, जो दिनांक **18.01.2023** से प्रभावशील होगाः—

क्र	न्यायालय का नाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार
1	2	3	4	5
1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,बैढन सिंगरौली	तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली

2	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली	तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली	चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली
3	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली	तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली	चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली
4	तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली	चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली
5	चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली	पंचम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली
6	पंचम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली	चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली	तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिंगरौली
7	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, देवसर	तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, देवसर,	पंचम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली	चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली
8	तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, देवसर	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवसर,	पंचम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली	चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली
9	श्री कृष्णपाल सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सिंगरौली	श्री नीरज पवैया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिंगरौली	श्री अभिषेक कुमार, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सिंगरौली	श्रीमती प्रितांजली सिंह, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सिंगरौली
10	श्री नीरज पवैया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिंगरौली	श्री अभिषेक कुमाार तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड,सिंगरौली	श्रीमती प्रितांजली सिंह, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सिंगरौली	श्री कृष्णपाल सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सिंगरौली
11	श्री अभिषेक कुमार तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सिंगरौली	श्री नीरज पवैया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिंगरौली	श्रीमती प्रितांजली सिंह, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सिंगरौली	श्री कृष्णपाल सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सिंगरौली
12	श्रीमती प्रितांजली सिंह, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सिंगरौली	श्री कृष्णपाल सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सिंगरौली	श्री अभिषेक कुमार तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सिंगरौली	श्री नीरज पवैया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिंगरौली
13	श्री आयुष कनेल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिंगरौली	सुश्री शाम्भवी सिंह, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिंगरौली	श्री अभिषेक कुमार तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिंगरौली	श्री नीरज पवैया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिंगरौली
14	सुश्री शाम्भवी सिंह, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ	श्री नीरज पवैया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ	श्री अभिषेक कुमार तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिंगरौली	श्रीमती प्रितांजली सिंह, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ

	खण्ड सिंगरौली	खण्ड सिंगरौली		खण्ड, सिंगरौली
15	श्रीमती आयुषी शर्मा, प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ देवसर	श्री हर्ष ठाकुर प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवसर	श्रीमती तनवी माहेश्वरी ठाकुर द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवसर	श्री देवांश अग्रवाल तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवसर
16	श्री हर्ष ठाकुर प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवसर	श्रीमती तनवी माहेश्वरी ठाकुर द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवसर	श्री देवांश अग्रवाल तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवसर	श्रीमती आयुषी शर्मा, प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ देवसर
17	श्रीमती तनवी माहेश्वरी ठाकुर द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवसर	श्री हर्ष ठाकुर प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवसर	श्री देवांश अग्रवाल तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवसर	श्रीमती आयुषी शर्मा, प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ देवसर
18	श्री देवांश अग्रवाल तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवसर	श्रीमती तनवी माहेश्वरी ठाकुर द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवसर	श्री हर्ष ठाकुर प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवसर	श्री देवांश अग्रवाल तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवसर

नोट :–

(1) यह चार्ज प्रभार का आदेश दिनांक– **18.01.2023** से अन्य कोई आदेश होने तक के लिए प्रभावशील होगा।

(2) यदि कोई व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मुख्यालय में अनुपलब्ध है एवं उसके चार्ज प्रभार वाले न्यायिक अधिकारी भी अनुपलब्ध है तो व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड का सबसे कनिष्ठतम अधिकारी कार्य करेगा ।

(3) यदि कोई व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मुख्यालय में अनुपलब्ध है एवं उसके चार्ज प्रभार वाले न्यायिक अधिकारी भी अनुपलब्ध है तो व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड का कनिष्ठतम अधिकारी अथवा व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के कोई भी न्यायिक अधिकारी उपलब्ध न हो तो व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड का सबसे कनिष्ठतम न्यायिक अधिकारी कार्य करेगा ।

(4) यह कार्यविभाजन न्यायालयों के पदनाम से किया जाना आशयिक है एवं केवल पदनाम की सुविधा के लिए वर्तमान में पदस्थ पीठासीन अधिकारी के नाम भी लिख दिए गए हैं, किन्तु जब तक माननीय उच्च न्यायालय या म0प्र0 शासन की किसी अधिसूचना द्वारा अन्यथा आशयित न हो तब तक वर्तमान में पदस्थ पीठासीन अधिकारी के बाद उनके स्थान पर आने वाले न्यायिक अधिकारी भी उक्त कार्य विभाजन के अनुसार अधिकृत होगें।

(5) तहसील देवसर में पूर्व में कार्यरत् रही और वर्तमान में रिक्त समस्त अति. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय से संबंधित समस्त कार्यवाही, न्यायालय श्रीमती आयुषी शर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड देवसर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश द्वारा संपादित की जावेगी ।

P.T.O

(6) तहसील देवसर में पूर्व में कार्यरत् रही और वर्तमान में रिक्त समस्त अति. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड/व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय से संबंधित समस्त कार्यवाही, न्यायालय श्री हर्ष ठाकुर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड देवसर द्वारा संपादित की जावेगी।

(7) मुख्यालय बैढ़न में पूर्व में कार्यरत् रही और वर्तमान में रिक्त समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय से संबंधित समस्त कार्यवाही न्यायालय श्री नीरज पवैया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बैढ़न द्वारा संपादित की जावेगी।

(8) मुख्यालय बैढ़न में पूर्व में कार्यरत् रही और वर्तमान में रिक्त समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय से संबंधित समस्त कार्यवाही न्यायालय सुश्री शांभवी सिंह, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बैढ़न द्वारा संपादित की जावेगी।

(9) मुख्यालय बैढ़न में पूर्व में कार्यरत् समस्त प्रशिक्षु न्यायाधीशगण के न्यायालय से संबंधित समस्त कार्यवाही सुश्री शाम्भवी सिंह, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के द्वारा संपादित की जावेगी।

(10) मुख्यालय बैढ़न में पूर्व में कार्यरत् रही और वर्तमान में रिक्त समस्त जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय से संबंधित समस्त कार्यवाहियां न्यायालय श्री आत्माराम टॉक, चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बैढ़न जिला सिंगरौली के द्वारा संपादित की जावेंगी।

(11) तहसील देवसर में पूर्व में कार्यरत् रही और वर्तमान में रिक्त समस्त जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवसर के न्यायालय से संबंधित समस्त कार्यवाहियां न्यायालय श्री सुधीर सिंह राठौड़, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवसर जिला सिंगरौली के द्वारा संपादित की जावेंगी।

(12) केन्द्रीयकृत पंजीयन कार्यालय में पंजीयन उपरांत संबंधित प्रकरण, इस कार्य विभाजन के आदेशानुसार संबंधित न्यायालय को स्वमेव अंतरित माना जावेगा ।

(13) इस कार्य विभाजन पत्रक का पूर्व से लंबित दावे के श्रवणाधिकार के संबंध में कोई प्रभाव नहीं पडेगा अर्थात् उक्त मामले यथावत जिस न्यायालय में लंबित हैं, उसी न्यायालय में ही विचारित किये जावेंगे।

(14) इस कार्य विभाजन पत्रक का न्यायाधीशों के वरिष्ठता क्रम पर कोई प्रभाव नहीं होगा ।

(15) माननीन उच्च न्यायालय से अपील/पुनरीक्षण एवं अन्य कार्यवाहियों में रिमाण्ड होकर अथवा निराकृत होकर प्राप्त होने वाले प्रकरण (पूर्व में रहे विशेष न्यायालय) के संबंधित विशेष न्यायालय एस.सी./एस.टी. एक्ट/एन.डी.पी.एस. एक्ट/विद्युत अधिनियम/सत्र वाद आदि से संबंधित मामले उनके पूर्ववर्ती पीठासीन अधिकारी के न्यायालयों के द्वारा ही निराकृत होने से सत्र न्यायालय के माध्यम से सीधे उक्त न्यायालय में अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु भेजे जावेंगे ।

(16) ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाश में अत्यावाश्यक प्रकृति के वादों एवं आवेदनों को ग्रहण करने एवं निराकृत करने की कार्यवाही, संबंधित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा की जा सकेगी तथा यदि संबंधित न्यायालय रिक्त हो अथवा संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अवकाश पर हों, तो उस न्यायालय के प्रभारी द्वारा उक्त कार्यवाही संपादित की जावेगी। इस संबंध में पृथक आदेश देने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

Sd/-

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सिंगरौली (म0प्र0)

पृ0 क्रमांक–143/एक–5–1/2010 सिंगरौली, दिनांक–17.01.2023

1. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली
2. द्वितीय/तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, देवसर
3. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, सिंगरौली
4. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सिंगरौली
5. प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, सिंगरौली
6. प्रथम अति0/प्रथम/द्वितीय/तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवसर
7. प्रस्तुतकार, न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली
8. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, सिंगरौली,
9. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, देवसर, जिला सिंगरौली (म•प्र•)

................की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सिंगरौली (म0प्र0)